कार्यालय कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क0 02 अ–82/19–20 /पीपला/ 4942 बैतूल दिनांक 27.5.2020

प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल।

विषयः– ग्राम पीपला तहसील बैतूल के भू–अर्जन प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत।

–0–

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत मौजा पीपला तहसील बैतूल के भूमिस्वामियों की भूमि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु अर्जन किए जाने हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

27/5/20

(राकेश सिंह)
कलेक्टर एवं
भू–अर्जन अधिकारी बैतूल

पृ0क0–02 अ–82/2019–20/पीपला/4942 बैतूल दिनांक 27.5.2020

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी, (रा) बैतूल को अग्रेषित, समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।

2– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, कमांक–2, बैतूल,

3– प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।

5– तहसीलदार बैतूल को प्रश्नांकित स्थल/ग्राम पंचायत एवं कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

27/5/20

कलेक्टर एवं
भू–अर्जन अधिकारी बैतूल

D:\DATA 2.7.19\10.11.19\curs new 1.doc

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1. परियोजना का नाम	:–	मेढा मध्यम परियोजना
2. लोक प्रयोजन	:–	सिंचाई हेतु
3. स्थल	:–	मेंढ़ा, पिपला, खापा, बोरीकास,बगदरी, पलासपानी, कामीदा तहसील भैसदेही, आठनेर, बैतूल
4. परियोजना का क्षेत्र	:–	11000 हे0 सिंचित
5. विकल्प जिन पर विचार किया गया	:–	अर्जन की जाने वाली भूमि जलाशय के निर्माण के लिए उपयुक्त है।
6. परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	:–	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क02 बैतूल
7. परियोजना निर्माण के चरण	–	प्रथम एवं अंतिम
8. परियोजना के प्रभावो को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	:–	प्रकरण में नक्शा सलंग्न है।
9. परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	:–	जलाशय निर्माण हेतु 12.897 हे0
10. भूमि का मूल्य	:–	ग्राम–पीपला की सिंचित भूमि रू. 4,40,000/– एवं असिंचित भूमि रू.2,20,000/– रू0 प्रति हे0
11. प्रभावित परिवारों की संख्या	:–	ग्राम पीपला के 8 कृषक
12. परिसम्पतियां	:–	लोक सम्पति भूमि भवन निरक अन्य निजी सम्पति भूमि 12.897 भवन निरंक अन्य
13. विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	:–	ग्राम–पीपला परिवारों की संख्या निरंक
14. सामाजिक समाघात		
(क) समाघातों का विवरण	:–	निष्कर्ष में उल्लेखित है।
(ख) समाघातों की संकेतक सूची	:–	निरंक

15. विकल्प जिन पर विचार किया गया

(क) यदि हां – तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? लोक प्रयोजन हेतु

(ख) यदि नही – तो क्यो ?

निष्कर्ष :–

1. प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
2. प्रभावित भूमि के अर्जन में कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।
3. प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पतियां प्रभावित हो रही है जिस बाबत् वर्तमान प्रचलित विधि/निर्देशों के तहत मुआवजा दिया जा रहा है।
4. आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
5. इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
6. जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)
श्री व्ही.डी.कोसे	उपवन मंडालाधिकारी आमला	अविअ जल संसाधन उपसंभाग घोडाडोंगरी	नितिन टाले, डिप्टी कले0 बैतूल

दिनांक 24/4/2020